न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

पीठासीन अधिकारीः श्री श्याम सिंह शेखावत आर.ए.एस

अपील संख्याः 184/2020

मूलचन्द पुत्र सदासुख जाति रैगर, निवासीः ग्राम आष्टीकला, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

..... **अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रेम प्रकाश पुत्र नानग जाति बलाई निवासीः ग्राम तिगरिया, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
2. राजेन्द्र पुत्र जोधाराम जाति रैगर, निवासीः ग्राम उदयपुरिया, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
3. ताराचन्द पुत्र नाथूराम जाति रैगर, निवासीः ग्राम ढोडसर, तहसील चौमू, जिला जयपुर। समस्त जरिये मुख्त्यार आम मन्साराम पुत्र छोटूराम जाति जाट निवासीः मकान नंबर 14 बन्धुनगर, मुरलीपुरा, जयपुर।
4. उप पंजीयक चौमू, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
6. रामगोपाल पुत्र सदासुख जाति रैगर निवासीः ग्राम आष्टीकला, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

.....**रेस्पोडेन्ट्स**

अपील विरूद्व प्राथमिक निर्णय डिक्री दिनांक 04.12.2019 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू, जिला जयपुर वाद पत्र संख्या 177/2015 उनवान प्रेम प्रकाश बनाम संजू व अन्य अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः

श्री शिवसिंह चौधरी एडवोकेट

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी

श्री सुरेश कुमार चाहर एडवोकेट

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 ल. 3

:--निर्णय--: दिनांक 26/2/2021

1. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम आष्टीकलां, तहसील चौमू, जिला जयपुर में आराजीयात खसरा नंबर 1241 रकबा 0.29 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1242 रकबा 0.03 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 1243 रकबा 0.46 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.78 हैक्टेयर स्थित है। विवादग्रस्त आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त कब्जेकाश्त की खातेदारी भूमि है जिसका आज दिन तक विधिवत विभाजन सक्षम अधिकारी एवं न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है, उक्त विवादित आराजीयात भूमि खाता संख्या 73 में वादीगण का खातेदारी हिस्सा 55/60 तथा शेष भूमि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 की खातेदारी है अर्थात विवादित आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 की संयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि है जिसका की आज दिन तक भी बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर

तकासमा नहीं हुआ है तथा सभी खातेदार मनबट के अनुसार भूमि का विभाजन कर अपने अपने हिस्से मुताबिक विवादित आराजीयात पर काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग कर राज्य सरकार को लगान अदा करते आ रहे है। वादीगण ने विवादित आराजीयात के अन्य सहखातेदारों अर्थात प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 से विवादित आराजीयात का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स कब्जे के आधार पर विधिवत रूप से तकासमा किये जाने बाबत अनुरोध किया तो प्रतिवादीगण 1 ता 2 द्वारा वादीगण को शीघ्र तकासमा करवाने का आश्वासन देकर टालमटोल किया जाता रहा तथा वादीगण के अनेक मर्तबा तलब व तकाजा करने पर भी आज दिवस तक भी विवादित आराजीयात का विधिवत तकासमा नहीं करवाया गया एवं अभी कुछ दिन पूर्व तकासमा करवाये जाने से साफ इंकार कर दिया है एवं वादी को धमकी दी है कि आराजीयात का बिना तकासमा करवाये ही कृषि भूमि को अकृषि भूमि में विभक्त कर पुख्ता निर्माण कार्य कर आराजीयात को भूखण्डों में बेचान हस्तान्तरण करेगे जिस कारण वादी को अपने खातेदारी अधिकारों की रक्षार्थ यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी ने वाद के अन्य बिन्दुओं के साथ वाद कारण अंकित करते हुये यह अनुतोष चाहा है कि वादी वाद विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य कब्जे काश्त अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स तकासमा किया जाकर विवादित आराजीयात भूमि खाता संख्या 73 में वादीगण का हिस्सा 55/60 का पर्चा अलग से कायम किया जावे।प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे आराजीयात का बिना विधिवत तकासमा करवाये किसी विशिष्ट भू भाग को अन्य दीगर व्यक्ति, संस्था को हस्तान्तरित नहीं करे, ना ही वादीगण को विवादित आराजीयात में निहित वादीगण के शामलाती कब्जे काश्त एवं हिस्से की भूमि के शांतिपूर्ण उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा ही कारित करे, ना ही निर्माण इत्यादि करे, ना ही आराजीयात को बेचान, हस्तान्तरित करे, ऐसा ना तो स्वयं करे ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट इत्यादि से करावे एवं मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।तत्पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वकील वादी एवं प्रतिवादी की बहस सुनकर बाद बहस मनन दिनांक 04.12.2019 को प्राथमिक डिक्री पारित कर तहसीलदार चौमू को आदेशित किया कि वादग्रस्त भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य उनके दर्ज हिस्से अनुसार बाहमी बंटवारा व कब्जे काश्त को प्राथमिकता देते हुये रहवास एवं रास्ते को मध्यनजर रखते हुये बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के सिद्धान्त अनुसार तकासमा के कुरैजात न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे।अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की। जिस पर बहस अभिभाषक पक्षकारान समायत की गयी।

2- अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा अपनी बहस के प्रारम्भ में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री में आपत्ति स्वरूप निवेदन किया कि वाद में सन्दर्भित प्रशनगत आराजीयात के सन्दर्भ में राजस्व रिकार्ड में अंकित रिकार्डेड खातेदार भगवान सहाय व लक्ष्मीनारायण को पक्षकार बनाये बिना ही जो निर्णय जैर अपील पारित किया गया है वह विधि के सिद्दांतो के विपरीत होने से निरस्तनीय है | अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस में आगे निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण द्वारा जवाब वाद प्रस्तुत किया गया था | कि वाद में अंकित वादग्रस्त आराजीयात पर वादीगण का कभी भी कब्जा नही रहा बल्कि प्रशनगत आराजीयात पर प्रतिवादीगण का पिछले 50-90 वर्षो से निरन्तर कब्जा बतौर खातेदार काश्तकार रहा है जिससे कब्जे के अभाव में वादीगण का वाद संधारणीय नही है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण की आपत्तियों का निस्तारण किये बगैर वाद को निर्णित

करते हुये प्रारम्भिक डिक्री पारित कर दी गयी | अत: अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री दिनांक 04/12/2019 ख़ारिज फरमाई जावे |

3- अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी जवाब बहस के प्रारम्भ में हमारा ध्यान अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध ex-2 जमाबन्दी सम्वत 2068 से 2071 की और आकर्षित करा कर बहस में निवेदन किया कि जिन भगवानसहाय एवं लक्ष्मीनारायण को वाद में पक्षकार नही बनाये जाने के सन्दर्भ में अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा आपत्ति उठाई गयी है उनके हिस्से की आराजीयात का क्रय वादीगण द्वारा किया जा चुका है जिससे वे किसी प्रकार से आवश्यक पक्षकार वाद नही थे | इसके अतिरिक्त अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने हमारा ध्यान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब वाद की और आकर्षित करा कर बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब वाद में यह आपत्ति कही दर्ज नही कराई गयी कि वाद में वादी द्वारा किसी आवश्यक पक्षकार को पक्षकार वाद नही बनाया गया हो, जिससे वाद संधारणीय नही रहता हो, मात्र जवाब वाद में कब्जे के सन्दर्भ में आपत्तियों दर्ज कराई गयी है एवं अंकित किया गया है कि वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से अंकित किया गया है एवं वे प्रशनगत आराजी पर कभी काबिज नही रहे है जबकी वाद के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी से प्रशनगत आराजी के सन्दर्भ में वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित है एवं वे प्रशनगत आराजी पर निरन्तर काबिज चले आ रहे है, जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री न्यायोचित ढंग से पारित निर्णय व डिक्री होने से अपील ख़ारिज फरमाई जावे |

4- हमने बहस अभिभाषक पक्षकारान पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया | अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा दौराने बहस जो तथ्य प्रस्तुत किये गये है उनकी पुष्टी पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से होती है एवं यह तथ्य भी स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जवाब वाद में किसी आवश्यक पक्षकार को वाद में पक्षकार नही बनाये जाने की आपत्ति दर्ज नही कराई गयी | इसके अतिरिक्त आज हमारे समक्ष अपील वाद के प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत की गयी है जिससे उनके द्वारा यह आपत्ति उठाई गयी है कि किन्ही आवश्यक पक्षकारान को वाद में वादीगण द्वारा पक्षकार नही बनाया गया है जबकी इस न्यायालय के समक्ष जिन पक्षकारान को वाद में पक्षकार नही बनाया जाना उल्लेखित किया गया है, के द्वारा कोई अपील ही इस आपत्ति स्वरूप नही पेश की गई है, जिससे स्पष्ट रूप से अपीलार्थी द्वारा उठाई गयी आपत्ति सारहीन सिद्द होती है | जहाँ तक प्रशनगत आराजी पर वादीगण के काबिज होने का प्रशन है इस सन्दर्भ में नकल जमाबन्दी सम्वत 2068 से 2071 ex-2 में वादीगण के नाम का इन्द्राज होना स्वत: ही उन्हें काबिज काश्तकार सिद्द करता है |

5- अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थीगण ख़ारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री दिनांक 04/12/2019 यथावत रखे जाते है |

6- पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो |

7- निर्णय आज दिनांक 26/02/2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर